न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– विमला आदि बनाम राकेश कुमार आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 114 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
08.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण ने आवेदन पत्र एंव जवाब आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया । हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.24 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 434 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 435 रकबा 6.4000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.4100 है0 के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धरा 53, 188 राज0काश्त0अधिनियम पेश किया है, जो वर्तमान में तनकी में विचाराधीन चल रहा है। तनकी निर्धारण के बाद साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर जवाब दावा, जवाब उल जवाब में उठाये गये बिन्दूओं का निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 434 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 435 रकबा 6.4000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.4100 है0 के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	